उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड।

(कार्मिक अनुभाग–एक)
संख्या 4803 / उ0नि0(एक)–94 / 2002–03
दिनांकः देहरादून, फरवरी, 07 ,2013

कार्यालय ज्ञाप

उद्योग निदेशालय एवं उसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में आशुलिपिक, वेतन बैंड–1,5,200–20,200, ग्रेड वेतन रू0_2,400 के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों की पारस्परिक ज्येष्ठता ''उत्तराखण्ड सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली, 2002'' में प्राविधानित उपबन्धों के तहत संलग्नक ''क'' में दिये गये विवरणानुसार अनन्तिम रूप से परिचालित की जाती है।

2– संलग्न सूची के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिकों को यदि कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति/प्रत्यावेदन, एतद् के जारी होनें की तिथि से 15 दिनों के अन्दर, अपने कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि निर्धारित अवधि तक संलग्न सूची में निर्दिष्ट विवरण/ज्येष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह समझा जायेगा कि संलग्न सूची के अनुसार निर्धारित ज्येष्ठता को अन्तिम रूप दिये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और तद्नुसार यथोचित निर्णय लेते हुए, ज्येष्ठता सूची अन्तिम रूप से परिचालित कर दी जायेगी।

<u>संलग्न– अनन्तिम ज्यष्ठता सूची।</u>

(एस0सी0नौटियाल)
अपर निदेशक उद्योग।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सम्बन्धित कार्मिक, द्वारा सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष।
2. समस्त महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि वे अपने अधीन कार्यरत सम्बन्धित कार्मिकों को ज्येष्ठता सूची की छाया प्रति प्राप्त करवाना सुनिश्चित करें।
3. प्रभारी सर्वर रूम, उद्योग निदेशालय, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि ज्येष्ठता सूची को विभागीय वेव–साईड पर अद्यावधिक करना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाईल।

(के0के0कोटनाला)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी।